नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
जारी हु

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 03/2020

श्रीस्वरूप पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी लहसोडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अपीलांट

बनाम

1. रामू पुत्र गोना जाति कोली निवासी जस्टाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 11/2019 निर्णय दिनांक 14.11.2019)

उपस्थित अभिभषाक
1. अपीलांट की ओर से श्री रवीन्द्र सिंह राजावत
2. रेस्पो0 की ओर से श्री घनश्याम योगी

निर्णय दिनांक 04.02.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 11/2019 निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ने बाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66 है0 किस्म बारानी अव्वल में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1/2 हिस्सा बंशी पुत्र औकार बैरवा से दक्षिण दिशा की ओर का खरीद किया था। प्रार्थी ने अपनी खरीदशुदा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के दक्षिणी हिस्से में सरसों की फसल बोई थी जो सरसब्ज होकर खेत में खडी है। प्रार्थी दिनांक 25.12.2018 को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि में सरसों की फसल को पानी पिलाने गया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को अपनी फसल को पानी पिलाने से मना किया व मॉ-बहन की फोश-फोस गालियॉ दी एवं कहा कि यह तेरी खरीदशुदा व खातेदारी की भूमि पर तो में जबरन कब्जा करके रहूंगा। प्रार्थी ने अप्रार्थी को विन्रम होकर समझाया कि यह जमीन तो मेरी खरीदशुदा भूमि है इस जमीन से तो तुम्हारा कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है फिर भी अप्रार्थी क्रोधित हो गया एवं प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि तुम्हे जो भी करना है कर लो तुम्हे सरसों की फसल काटकर नहीं ले जाने दूंगा एवं जबरन कब्जा करके रहूंगा। प्रार्थी का निवेदन है कि वह अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करावें कि वह प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66 है0 के 1/2 हिस्से दक्षिणी हिस्से को काश्त करने उपयोग करने एवं उपभोग लेने में किसी तरह की माने मजाहमत न तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। उक्त खरीदशुदा भूमि से अप्रार्थी का कोई संबंध किसी तरह का नहीं है फिर भी अप्रार्थी, प्रार्थी की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raniwal
Date: 2021.12.16 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खरीदशुदा भूमि पर जबरन लाठी के जोर से कब्जा करने के प्रयास में है। प्रार्थी अकेला एवं निहायत गरीब व्यक्ति है यदि अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी प्रार्थी किसी भी तरह से भरपाई नहीं कर पायेगा। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे कास्त की भूमि में बिना किसी अधिकार के व्यवधान पैदा करने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने कि इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय रूएदार मिसिल एवं खिलाफ कानून होने के कारण लायके मंसूखी है। रेस्पो0 नं0 01 ने अधिनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66 है0 वाके ग्राम लहसोडा में 1/2 हिस्सा स्वंय का होना बताया है तथा 1/2 हिस्सा मुझ अपीलार्थी का है, उक्त आराजीयात शामलाती खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजीयात अपीलार्थी की पुस्तैनी है, जिस पर पूर्व में अपीलार्थी के काका बंशी पुत्र ओंकार तथा पन्ना पुत्र ओंकार की कब्जा काश्त व खातेदारी थी। उन्हीं के समय पर बंशी व पन्ना ने सहमति से अपनी उक्त आराजीयात का हिस्सा कर लिया था जिसमें से उत्तरी हिस्सा बंशी पुत्र ओंकार का तथा दक्षिणी हिस्सा पन्ना पुत्र ओंकार का रहा था तथा उक्त हिस्सानुसार ही वे अपने जीवनकाल में अपने-अपने हिस्से को काश्त करते रहे है। पन्ना की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की खातेदारी मुझ अपीलार्थी को मिली तथा तब से ही अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजीयात खसरा नं0 1439 के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा काश्त है। रेस्पो0 नं0 01 ने उक्त विवादित आराजीयात बंशी से खरीदी है, जब बंशी ही अपने जीवनकाल में उत्तरी हिस्से पर काबिज था तो वह उक्त विवादित आराजीयात के दक्षिणी हिस्सा पर कब्जा कैसे दे सकता था। रेस्पो0 नं0 01 ने विवादित आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66 है0 के 1/2 हिस्सा को कभी भी काश्त नहीं किया है बल्कि उक्त हिस्सा पर भरत मीना, भगत मीना व भजन मीना काश्त करते है उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति बंशी से भरत मीना, भगत मीना व भजन मीना तीनो भाईयों ने चूंकि वे अनुसूचित जनजाति के है इसलिए उन्होंने इस आराजीयात को रामू कोली के नाम से बेनामी क्रय की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में विवादित आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66 है0 के 1/2 हिस्से की दक्षिणी दिशा की भूमि पर गलत एंव अवैध तरीके से अपीलार्थी को पाबन्द कर दिया है जबकि अपीलार्थी सह खातेदार है तथा रेस्पो0 नं0 01 के उक्त भूमि क्रय करने से पूर्व से ही उक्त भूमि के दक्षिणी हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमावे।

4. विद्वान रेस्पो0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पो0 ने विवादित भूमि खसरा नं. 1436 रकबा 1.66 है0 किस्म बारानी अव्वल बाके ग्राम लहसोडा का 1/2 हिस्सा [illegible] की तरफ वाला जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 27.09.2006 को [illegible] पुत्र ओकार बैरवा निवासी लहसोडा से खरीद किया था [illegible] रेस्पो0 अपनी खरीदशुदा उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है उक्त आराजी के खरीदने के पश्चात रेस्पो0 के नाम नामांतकरण खातेदारी भी दी जा चुकी है। रेस्पो0 को अधिकार प्राप्त है कि वह अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावें कि वह रेस्पों0 की खरीद शुदा आराजी खसरा नं0 1439 रकबा 1.66

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है0 के 1/2 हिस्से दक्षिणी हिस्से को काश्त करने, उपयोग करने एवं उपभोग में लेने में किसी तरह की माने मजाहमत न तो स्वंय करे ना अन्य से करावें। उक्त खरीदशुदा भूमि से अपीलांट का कोई संबंध किसी तरह का नहीं है फिर भी अपीलांट, रेस्पो0 की उक्त खरीदशुदा भूमि पर जबरन लाठी के जोर से कब्जा करने के प्रयास में है। रेस्पों0 अकेला एवं निहायत गरीब व्यक्ति है यदि अपीलांट ने उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो रेस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी रेस्पो0 किसी भी तरह से भरपाई नहीं कर पायेगा। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने कि इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी। प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। निर्णय में कोई गलती नहीं हुयी है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है, जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

6. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 वाके ग्राम लहसोडा के खाता संख्या 486 के अनुसार खसरा नम्बर 1439 रकबा 1.66 हैक्टर रामस्वरूप पुत्र पन्ना जाति बैरवा सा. देह हिस्सा 1/2 रामू पुत्र गोना जाति कोली सा. जसटाना तहसील बौंली हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा बाबत कोई भी दस्तातेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/अपीलांट को बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट भाग पर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.11.2019 में आदेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1439 रकबा 1.66 है0 में से प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे कास्त की कृषि भूमि दक्षिण दिशा की ओर स्थित है के कब्जे कास्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। इस आदेश में विधिक रूप से त्रुटि दृष्टव्य होती है। इसलिए अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के मु0नं0 11/2019 निर्णय दिनांक 14.11.2019 को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.2.21

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner